



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य, प्रदेश

निग. प्र. क्र. आर-42/11/07 Resto 3 329 III 114

सन् 2006-07

1. राजेन्द्रसिंह तनय स्व. श्री मोहनसिंह & फौतूर

बारसान

अ. अंजलीसिंह पुत्री स्व. श्री राजेन्द्रसिंह तनय मोहनसिंह

ब. मंजलीसिंह पुत्री स्व. श्री राजेन्द्रसिंह ""

स. अखंडप्रतापसिंह पुत्र स्व. श्री राजेन्द्रसिंह ""

सभी निवासी ग्राम ललगुवां

2. सुरेन्द्रसिंह तनय स्व. श्री मोहनसिंह & फौतूर

3. अरविंदसिंह तनय स्व. श्री मोहनसिंह & फौतूर

बारसान

श्री मुकेश भागवत एड. के. द्वारा आज दि 30-9-14 को प्रस्तुत

कलक ऑफि कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तुनीतासिंह पत्नी स्व. श्री अरविंद सिंह आयु 33 साल,

अभिषेकसिंह तनय स्व. श्री अरविंद सिंह आयु 10 साल,

स्व. अरविंदसिंह तनय श्री अरविंदसिंह आयु 6 साल,

दोनो नावालिंग बलीसरपरस्त माँ तुनीतासिंह पत्नी स्व.

अरविंदसिंह नि. गण ग्राम ललगुवां तह. राजनगर जि. छतरपुर -- आवेदकगण

बनाम

सुठ

1. मलखानसिंह तनय स्व. श्री बारेलालसिंह

2. छन्सिंह तनय स्व. श्री बारेलालसिंह

3. किशोरसिंह तनय स्व. श्री बारेलालसिंह,

सभी निवासी गण ग्राम ललगुवां तह. राजनगर जि. छतरपुर

4. बीरेन्द्रसिंह तनय स्व. श्री मोहन सिंह बलीसरपरस्त

निवासी गण ललगुवां तह.

W3
मुकेश भागवत
30-9-14 एड. के. के. द्वारा
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला छतरपुर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 3329-तीन/2014

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक
12-03-15

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह रेस्टोरेशन प्रकरण सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-14 के विरुद्ध लगभग 7 माह से भी अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश नहीं है। आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई भी समाधानकारक तथ्य/तर्क पेश नहीं किये हैं जिससे विलम्ब को क्षमा करने में सहायक सिद्ध होते। अतः रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने में होने वाला विलम्ब क्षमा योग्य नहीं होने से परिसीमा के बिन्दु पर अग्राह्य किया जाता है।


प्रशासकीय सदस्य

श्री
द्वारा
प्रस्तु

30

243